न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 06 / 2021
GCMS No. 2021/90

दायरा दिनांक 25.08.2021

पीठासीन अधिकारी :— श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

सलीम मोहम्मद पुत्र मोहम्मद खान जाति मुसलमान निवासी छत्रगंज तहसील किशनगंज, जिला—बारां राज0

— प्रार्थी

बनाम

1. हंसराज पुत्र छीतरलाल जाति कोली निवासी जलवाडा तहसील किशनगंज जिला—बारां राज0
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला—बारां। — अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी।
2. एक्स पार्टी, अभिभाषक अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त किये जाने आवंटन आदेश दिनांक 31.12.1976 केम्प छत्रगंज ग्राम मालोटी तहसील किशनगंज अन्तर्गत धारा 14(4) राज0 भू0रा0 अधिनियम 1970

निर्णय दिनांक 30.07.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र राजस्थान भू.— राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

ग्राम मालोटी पटवार हल्का छत्रगंज तहसील किशनगंज के माल में आराजी खसरा नम्बर 903 / 444 रकबा 5.01 बीघा अवस्थित है। उक्त आराजी को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

उपरोक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी अपने पिता के समय से अर्सा 50 वर्षो से अधिक समय से काबिज काश्त रहकर अपने परिवार का भरण—भोषण करता चला आ रहा है। प्रार्थी खेतीहर मजदूर परिवार का निर्धन एवं भूमिहीन व्यक्ति है, प्रार्थी एवं उसके पिता द्वारा मेहनत मजदूरी करके एक—एक पैसा जोड—जोड कर, काफी रूपये लगाकर उक्त आराजी में स्थित डूँडे खोद—खोद कर, पत्थर हटाकर एवं ट्रेक्टरों से काफी मिटटी डलवाकर गहरे—गहरे गढ्ढों को भरवाकर, उबड—खाबड आराजी को काबिल काश्त बनाया है।

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी की आराजी कब्जे शुदा उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 903/444 रकबा 5.01 बीघा को आवंटन सलाहकार समिति केम्प छत्रगंज के आदेश के बिना ही, बिना जॉच पड़ताल किए, बिना पूछताछ किए, बिना मुश्तहरी करवाये, आवंटन की सूचना बिना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए विवादित आराजी मौके पर खाली नही होने पर भी, छीतरलाल के बाहरी गांव जलवाडा का होने के बाबजूद फर्जी तरीके से ग्राम छत्रगंज का स्थानीय निवासी बताकर एवं मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होने के बाबजूद अन्य आवंटित आराजीयात के साथ–साथ उपरोक्त विवादित आराजी भी अप्रार्थी क्रम 1 के पिता छीतरलाल पुत्र पीरू जाति कोली निवासी जलवाडा के पक्ष में हल्का पटवारी की गलत व मिथ्या रिपोर्ट एवं आवंटन रजिस्टर में नाम अंकन के आधार पर ही दिनांक 31.12.1976 को विधि विरूद्ध एवं गैर कानूनी तरीके से आवंटन किया जाना दर्शा दिया गया। जब कि आवंटन से 50 वर्षो पूर्व से आज तक उक्त आवंटित विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी को उक्त आवंटन बाबत् कोई सूचना नही दी गई, न ही मौके से प्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल किया गया, मौके पर प्रार्थी का कब्जा आज तक चला आ रहा है जिसमें वर्तमान में प्रार्थी की सोयाबीन की फसल खडी है। विवादित आराजी मौके पर खाली नहीं होने के बाबजूद अप्रार्थी क्रम–1 के पक्ष में माना गया तथाकथित आवंटन विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी का अर्सा 50 वर्षो से लगातार, निर्बाध रूप से, बेरोक टोक कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी क्रम–1 एवं उसके पिता छीतरलाल को उक्त विवादित आराजी पर कभी दखल नहीं दिया गया है। अप्रार्थी क्रम–1 एवं उसके पिता छीतरलाल द्वारा आवंटन अधिनियम के तहत लागू शर्तो का भी विधिनुसार पालन नहीं किया गया है। आवंटन अधिनियम के तहत लागू शर्ता के तहत अप्रार्थी क्रम–1 एवं उसके पिता छीतरलाल द्वारा कभी विवादित आराजी को 50 वर्षो से कभी काश्त नहीं किया गया है। प्रार्थी के विवादित आराजी पर कब्जे काश्त को नजर अन्दाज करके आवंटन सलाहकार समिति केम्प छत्रगंज के विधिक आवंटन आदेश के बिना ही अप्रार्थी क्रम 1 के पिता छीतरलाल के पक्ष में आवंटन किया जाना दर्शाया गया है, अस्तु अप्रार्थी क्रम–1 के पिता छीतरलाल के पक्ष में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है।

उक्त आवंटन की जानकारी प्रार्थी को हल्का पटवारी द्वारा सूचना देने पर हुई है। आवंटन की नकल लेने हेतु प्रार्थी द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर किशनगंज, न्यायालय उप जिला कलक्टर शाहबाद एवं जिला रेकार्ड रूम बारां को दिनांक 12.07.2021, 19.07.2021 को आवंटन नकल लेने हेतु नकल प्रार्थना पत्र पेश करने पर एवं सभी कार्यालय द्वारा विवादित आराजी का आवंटन रेकार्ड होने से इन्कार करने पर तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा नकल आवेदन पत्रों की पुनः नकलें प्राप्त करने पर हुई है। आवंटन नकल आवेदन पत्रों की पुनः नकलें प्राप्त होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय श्रीमान में अवधि मध्य प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है।

अपीलान्ट द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने पर देरी को माफ करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत पृथक से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जो शामिल पत्रावली है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.07.2021, 19.07.2021 को तत्पश्चात्

Scanned with OKEN Scanner

नवन्त प्राप्त करने पर हुई। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 में वर्णित कारणों से हम सहमत हैं। अतः प्रस्तुत अपील में डिले को माफ करते हुए अवधि मध्य मानी जाकर अपील विचारार्थ स्वीकार की जाती है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपील में अंकित तथ्यों को बहस माना जावें। आवंटी का आज तक कब्जा नहीं रहा है। सदैव से अपीलान्ट का कब्जा रहा है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथन कि भूमि पर लगातार प्रार्थी का ही कब्जा चला आ रहा है तथा अप्रार्थी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। अप्रार्थी को आवंटित आराजी नियम विरूद्ध तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये किया गया है। उक्त कथन के पक्ष में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य, सावूत प्रस्तुत नहीं किया।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 31.12.1976 को अप्रार्थी हंसराज पुत्र छीतरलाल जाति कोली तहसील किशनगंज को ग्राम मालोटी की आराजी खसरा नं. 903/444 रकबा 5.01 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Scanned with OKEN Scanner